न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी– रक्षा पारीक, आरएएस)

प्रकरण संख्या – 2024/210 (प्रा0प0)
दायर दिनांक – 30/09/2024
निर्णय दिनांक –04/06/2025

अनवान

1. विलास कुंवर पत्नी किशनसिंह राजपुत, निवासी बिजनोल, तहसील–नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद

विपक्षी

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से – श्री ख्यालीलाल नागदा, अधिवक्ता
विपक्षी की ओर से – पेरोकार सरकार

दिनांकः– 04/06/2025

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955

: : निर्णय : :

प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया कि राजस्व गांव रामपुर, पटवार क्षैत्र–पाखण्ड, भू अभिलेख निरीक्षक मंडियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद में प्रार्थीया के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 4465/3715 रकबा 0.2529 हैक्टेयर भूमिया स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमिया वर्तमान में प्रार्थीया के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। राजस्व गांव रामपुर, पटवार क्षैत्र पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद की खाता संख्या नया 01 में अंकित आराजी नम्बर 2432 रकबा 0.9991 किस्म बंझड़ स्थित है जो वर्तमान किस्म बिलानाम होकर राजस्व रेकार्ड में विपक्षी के नाम दर्ज है और उक्त आराजी के सटमा ही प्रार्थीया की उपरोक्त प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित आराजी स्थित है जिससे उक्त आराजी नम्बर 2432 से होकर राजस्व गांव रामपुर, पटवार हल्का पाखण्ड भू अभिलेख निरीक्षण मंडियाना के खाता संख्या 01 में अंकित आराजी नम्बर 2432 रकबा 0.9991 हैक्टेयर किस्म बंझड से होकर मुख्य रास्ता आराजी नम्बर 2530 रकबा 0.3288 हैक्टेयर किस्म रास्ता से होकर प्रार्थीया के पूर्वाधिकारी एवं कय पष्चात प्रार्थीया उपरोक्त आराजी का ही अपनी खातेदारी भूमि में आने हेतु उक्त रास्ते का ही उपयोग–उपभोग करते रहे है तथा उक्त रास्ते से ही अपनी कृषि भूमियो में आ जा रहे है। सदिप से प्रार्थीया एवं उसके पुर्वाधिकारी

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

अपनी कृषि आराजीयात की भूमि पर आ जा रहे है और कृषि कार्य करते चले आ रहे है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में विपक्षी की आराजी संख्या 2432 से आने जाने का रास्ता बिलानाम भूमि से होकर मुख्य रास्ता जो आराजी नम्बर 2530 से मिलता है और उक्त रास्ते से ही प्रार्थीया अपनी कृषि भूमियों में आती जाती है तथा प्रार्थीया के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु नहीं है तथा प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु उक्त आराजी में से होकर ही जाया जा सकता है तथा इसके सिवाय प्रार्थीया के पास और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिए प्रार्थीया को उक्त रास्ते की आत्यन्ति आवष्यकता है जिससे प्रार्थीया, विपक्षी की आराजी संख्या 2432 रकबा 0.9991 हैक्टेयर में से अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु 30 फीट चौड़ा रास्ता कायम कराना चाहती है। प्रार्थीया व विपक्षी की आराजी में आने जाने के लिए रास्ते की भूमि का रेवेन्यु रेकर्ड में अंकन किया जानाा आवश्यक है। प्रार्थीया की भूमि पर आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 2432 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीया की उपरोक्त कलम संख्या 1 में वर्णित आराजी पर जाने हेतु बुवाई कर सके फसल बुवाई इत्यादि कार्य हेतु ट्रैक्टर ईत्यादि वाहन ला सके जिस हेतु उक्त आराजी में से 30 फीट रास्ते की नपती करा रास्ते की भूमि का नियमानुसार मुआवजा न्यायालय द्वारा तय किये जाने पर प्रार्थीया अदा करने को तत्पर है। प्रार्थीया खातेदारी की भूमि विपक्षी की आराजी के सटमा है एवं प्रार्थीया के भूमि से आगे विपक्षी की भूमि है एवं उसके आगे रेकर्ड में रास्ता दर्ज है जहां से प्रार्थीया, विपक्षी की आराजी पर आती जाती है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिये उपरोक्त वर्णित आराजी नम्बर 2432 में से 30 फीट का रास्ता कायम किया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि को उपयोग–उपभोग कर सके व कृषि कर सकें। प्रार्थीया राजस्थान टिनेन्सी गवर्नमेन्ट (अमेडमेन्ट) रूल्स 2012 के चेप्टर 12 के नियम 70 के तहत निर्धारित किये जाने वाली क्षतिपूर्ति की भरपाई करने को भी तैयार एवं तत्पर है। अतः **निवेदन है कि** प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व गांव रामपुर, पटवार क्षैत्र पाखण्ड, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद में स्थित प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों में आवागमन हेतु विपक्षी की राजस्व गांव रामपुर में स्थित आराजी संख्या 2432 में से 30 फीट चौडा रास्ता निकाला जाये ताकी प्रार्थीया इस रास्ते से अपने खेतों में आवागमन कर सके। 30 फीट चौड़े रास्ते का निर्धारण किया जाकर स्थल निरीक्षण करके कुल क्षतिपुर्ति की राषि नियमानुसार तय कि जाये जिससे प्रार्थीया अदा करने हेतु तैयार है तथा मौके पर रास्ता कायम किये जाने का आदेष फरमाया जावे एवं राजस्व रेकार्ड में अंकन कराया जावें।

इस पर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं मौका रिपोर्ट ली गई। विपक्षी संख्या ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/1818 दिनांक 18.12.2024 से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रार्थीया खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

4465/3715 रकबा 0.2529 हैक्टेयर पर आने जाने का अन्य कोई भी रिकार्डेड रास्ता मौक पर उपलब्ध नही है। प्रस्तावित रास्ता जो बिलानाम भूमि आराजी संख्या 2432 में से प्रस्तावित है, उसकी प्रार्थीया को अत्यन्तिक आवश्यकता है। मौके पर तैयार पर्चा मौका संलग्न है। प्रार्थीया खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु ग्राम रामपुर की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 2432 में से जो रास्ता हेतु प्रस्तावित किया गया है वह रास्ता सबसे कम दुरी वाला है। प्रार्थीया खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 4465/3715 तक पहूँचने हेतु बिलानाम भूमि आराजी संख्या 2432 में से प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई भी न्यूनतम दुरी वाला रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीया खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 4465/3715 तक पहूँचने हेतु ग्राम रामपुर की बिलानाम भूमि आराजी संख्या 2432 कुल रकबा 0.9991 हैक्टेयर में से 30 फिट अर्थात् 10 फिट चौडा व 7.5 मीटर लम्बा कुल 75 वर्गमीटर रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि ग्राम रामपुर की बिलानाम आराजी संख्या 2432 कुल रकबा 0.9991 हैक्टेयर में से तीस फिट अर्थात् 10 मीटर चौडा व 7.5 मीटर लम्बा कुल 0.0075 हैक्टेयर अर्थात् 75 मीटर राजकीय बिलानाम भूमि रास्ते के रूप में उपयोग में लेने से ग्राम रामपुर की बंजड भूमि की डीएलसी दर 4,79,000/- प्रति हैक्टेयर होने से प्रस्तावित भूमि की कीमत 3592.50/- रूपये बनती है। दुगुनी कीमत 7185/- रूपय बनती है। राशि जमा होने पर अन्तर्गत धारा 251-ए आर.टी.ए. के तहत रास्ता दिया जाना उचित है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन व मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आवलोकन किया गया तो जाहिर आया है कि तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु चाहा गया रास्ता आवश्यक होकर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्युनतम दुरी वाला है। राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र कमांकः प03(52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 में बिलानाम भूमि में से ही रास्ता दिया जाने का प्रावधान है।

- : आदेश : -

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सपठित राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र कमांकः प03(52) राज-6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के प्रदत्त प्रावधानों के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व गांव रामपुर, पटवार क्षैत्र पाखण्ड,

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)

भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मंडियाना, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में प्रार्थी के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 4465/3715 रकबा 0.2529 हैक्टेयर में आने–जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली, बैल, बैलगाडी लाने ले जाने हेतु तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार ग्राम रामपुर स्थित विपक्षी की आराजी संख्या 2432 में से 0.0075 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता के रूप में अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक होगा। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज किया जावें। तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की भूमि की डीएलसी दर प्रति हैक्टेयर 4,79,000/– रूपये होकर रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.0075 हैक्टेयर भूमि की किमत नियमानुसार दुगुनी किमत 7185/– रूपये बनती है। तदनुसार तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थी से उक्त कुलिया राशि 7185/– रूपये वसूल कर नियमानुसार राजकोष में जमा करावें इसी के साथ प्रस्तावित रास्तें की भूमि पर यदि कोई हरे वृक्ष स्थित हो तो तहसीलदार प्रार्थी से उन हरे वृक्षों की नियमानुसार राशि वसूल कर राजकोष में जमा करावें। उपरोक्त विवेचन के आधार पर सम्पूर्ण राशि राजकोष में जमा होने के उपरान्त ही उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जावें। पालनार्थ तहसीलदार नाथद्वारा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर न्यायालय की मोहर से सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) नाथद्वारा, जिला- राजसमन्द

(रक्षा पारीक)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा (राजसमन्द)